



प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रलिस के लयि:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरति सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP), [केंद्र परायोजति योजना](#), सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ।

मेन्स के लयि:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई के वभिन्न प्रकार

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) ने [प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरति सिंचाई लाभ कार्यक्रम](#) (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana-Accelerated Irrigation Benefit Programme- PMKSY-AIBP) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है ।

- इस परियोजना में राम गंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गाँव के नकिट एक बाँध का नरिमाण कार्य शामिल है । यह बाँध मौजूदा गोला नदी बैराज के लयि जल के स्रोत के रूप में कार्य करेगा और इससे 14 मेगावाट जलवदियुत उत्पादति होने की संभावना है ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):

- परिचय:
 - इस योजना को वर्ष 2015 में खेती के लयि पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का वसितार करने, जल उपयोग दक्षता में सुधार करने तथा सतत् जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था ।
 - यह एक [केंद्र परायोजति योजना](#) है, जिसमें केंद्र-राज्यों के बीच हसिसेदारी का अनुपात 75:25 होगा ।
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पहाड़ी राज्यों के मामले में यह हसिसेदारी 90:10 के अनुपात में होगी ।
 - वर्ष 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने PMKSY के तहत परियोजनाओं के घटकों की [जयि-टैगि के लयि एक मोबाइल एप्लिकेशन](#) लॉन्च किया ।

EMPOWERING FARMERS

PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA



- ▶ **Convergence of investments in irrigation at the field level**
- ▶ **Expansion of cultivable area under assured irrigation**
- ▶ **Improving on-farm water use efficiency to reduce wastage of water**
- ▶ **Encouraging precision-irrigation and other water saving technologies.**
- ▶ **Around 35 Lakh hectare of land irrigated using water saving methods since 2015**
- ▶ **Total 9.38 Lakh hectare of land covered under micro irrigation methods in 2020-2021**

■ उद्देश्य:

- कृषेत्त्रीय स्तर पर सचिाई में नविशों में एकरूपता प्राप्त करना (ज़िला स्तर पर और यद आवश्यक हो तो, उप ज़िला स्तर पर जल उपयोग योजनाएँ तैयार करना) ।
- खेतों में जल की पहुँच में वृद्धि और सचिाई (हर खेत के लयि जल) सुनश्चिति करने के प्रयास के तहत कृषियोग्य क्षेत्र का वसितार करना ।
- आवश्यक प्रौद्योगकियों और प्रथाओं के माध्यम से जल के सर्वोत्तम उपयोग के लयिजल स्रोत, वतिरण एवं इसके कुशल उपयोग का एकीकरण ।
- जल की बरबादी को कम करने और समयबद्ध तरीके तथा आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता बढ़ाने के लयि खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना ।
- परशुद्ध कृषि जैसी जल-बचत प्रौद्योगकियी को बढ़ावा देना ।
- जलभृतों के पुनर्भरण को बढ़ाना तथा धारणीय जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना ।
- मृदा व जल संरक्षण, भू-जल पुनरप्राप्ति, अपवाह पर नयित्रण, आजीविका के वकिल्प प्रदान करने और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतविधियों के लयि वाटरशेड दृष्टिकोण के उपयोग से वर्षा सचिति क्षेत्रों का एकीकृत विकास सुनश्चिति करना ।
- कसिानों और कृषेत्त्रीय कार्यकर्त्ताओं के लयि जल संचयन, जल प्रबंधन एवं फसल संरखण से संबंधित वसितार गतविधियों को

बढ़ावा देना।

- उप नगरीय कृषिके लिये उपचारित नगरपालिका अपशष्टि जल के पुनः उपयोग की व्यवहार्यता की जाँच करना।

■ घटक:

- त्वरति सचिाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme- AIBP): इसे वर्ष 1996 में राज्यों की संसाधन क्षमताओं से बढ़कर सचिाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
 - वर्तमान में PMKSY-AIBP के तहत 53 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं, जिनसे 25.14 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सचिाई क्षमता में वृद्धि हुई है।
- हर खेत को पानी (HKKP): इसका उद्देश्य लघु सचिाई के माध्यम से नए जल स्रोत का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत जल नकियों की देखभाल, पुनर्स्थापना तथा नवीकरण, पारंपरिक जल स्रोतों की वहन क्षमता को बेहतर बनाना, वर्षाजल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करना आदि शामिल हैं।
 - इसके उप घटक इस प्रकार हैं: कमांड एरिया डेवलपमेंट (CAD), सतही लघु सचिाई (SMI), जल नकियों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरूद्धार (Repair, Renovation and Restoration- RRR), भू-जल विकास।
- वाटरशेड विकास: इसमें मृदा और नमी संरक्षण की बेहतर तकनीकें शामिल हैं जैसे करिज़ क्षेत्रों तथा जल निकासी लाइन 5 की मरम्मत करना, वर्षाजल एकत्रित करना, यथास्थान नमी का संरक्षण करना और वाटरशेड के आधार पर अन्य संबंधित कार्य करना। इसमें जल अपवाह तंत्र का कुशल प्रबंधन भी शामिल है।
- नरूपण: इसे नमिनलखिति योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया था:
 - त्वरति सचिाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय)।
 - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme- IWMP)- भूमिसंसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
 - ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM)- कृषि और सहकारिता विभाग (DAC)।
- कार्यान्वयन:
 - राज्य सचिाई योजना एवं ज़िला सचिाई योजना के माध्यम से विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन।

कृषि से संबंधित अन्य पहलें:

- [प्रवोत्तर क्षेत्र के लिये मशिन जैविक मूल्य शृंखला विकास \(Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region- MOVCDNER\)](#)
- [राष्ट्रीय सतत कृषि मशिन](#)
- [परंपरागत कृषि विकास योजना \(PKVY\)](#)
- [कृषि वानिकी पर उप-मशिन \(Sub-mission on AgroForestry- SMAF\)](#)
- [राष्ट्रीय कृषि विकास योजना](#)
- [एग्रीसटैक](#)
- [डजिटल कृषि मशिन](#)
- [एकीकृत कसिान सेवा मंच \(Unified Farmer Service Platform- UFSP\)](#)
- [कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना \(National e-Governance Plan in Agriculture- NeGP-A\)](#)